पारस बनाम राज्य, गजीपुरा

किस्म मुकदमा धारा 251 (क) प्रकरण संख्या 3/2020/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2021	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जसवंतपुरा की उक्त प्रार्थना पत्र बाबत जांच रिपोर्ट प्राप्त है। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा गजीपुरा के आराजी खसरा नं. 1347/537 रकबा 0.50 है0 भमि पारस वल्द भेराजी कौम भील सा 0 भीनमाल व खसरा नं. 1348/537 रकबा 0.49 है0 भूमि पीराराम पुत्र खुमाजी भील सा0 रानीवाडा के नाम से दर्ज है। भू0अ0 निरीक्षक पावली व पटवारी के नजरी नक्शे व रिपोर्ट अनुसार मुख्य सडक बिन्दु ए से सी तक रास्ता मौके पर बना हुआ है। जिसमें बिंदु ए से बी तक सीमेंटेड सडक व आगे बी से सी तक कच्चा रास्ता मौके पर बना हुआ है, जो खसरा नं. 536 गै0मू0 रास्ता तक बना हुआ है लेकिन यह रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। नजरी नक्शे अनुसार मौके पर प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन हेतू रास्ता विद्यमान है। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया व तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया । रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आराजी खसरा नं. 1347/537 रकबा 0.50 है0 व खसरा नं. 1348/537 रकबा 0.49 है0 तक आवागमन हेतू अप्रार्थीगण के आराजी खसरा नं. 538 किस्म बारानी प्रथम में सीमेंटेड व कच्चा रास्ता खसरा नं. 536 गै0मू0 रास्ता तक बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसार वांछित रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा उक्त रास्ता केवल प्रार्थी की सुविधाजनक स्थिति के लिए चाहा गया है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपने खेत पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते व नवीन रास्ते की उसकी आत्यांतिक आवश्यकता को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार वैकल्पिक रास्ते का अभाव व नवीन रास्ते की उसकी आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। मिसल फैसल होकर नंबर से कम व दालिख दफ्तर हो। सहायक कलक्टर, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2021.01.19 14:39:34 IST
Reason: SelfAttested